

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLY & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELH

No. F.2 (08)/DLA/BS/F&S/P&C/2019/ 212

Dated. 26/2/19

To,

The Dy.Secretary,(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi- 110054.

Sub:- Delhi Legislative Assembly Un-Starred Question No. 70 asked by
Sh. Sanjiv Jha , MLA due for answer on 27.02.2019.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward
herewith 100 copies of reply of the above question duly authenticated by the
Competent Authority.

Encl:- As above.

Yours faithfully



(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

No F.2 (08)/DLA/BS/F&S/P&C/2019/

Dated

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT
of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above
referred DLA Starred question of distribution of the House.

(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,
के. ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारंकित प्रश्न संख्या :- 70

दिनांक: 27/02/2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री संजीव झा

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या दिल्ली सरकार के खाद्य संभरण विभाग द्वारा दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का कार्य आरंभ करने की कोई योजना है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत हैं।
(ख) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस समय कितने राशन कार्ड पेंडिंग की स्थिति में है;	4514 आवेदन।
(ग) एन.एफ.एस. योजना के तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब तक बनाए जा चुके राशन कार्डों का पूर्ण विवरण क्या है;	38617 कार्ड बनाए जा चुके हैं।
(घ) क्या यह सत्य है की निर्धारित आय से अधिक आय होने पर जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो जाते हैं उन उपभोक्ताओं द्वारा अपील करने पर संबंधित सहायक आयुक्त के कार्यालय से जवाब नहीं दिया जाता है; और	जिन राशन कार्डधारी की आय 1 लाख होने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द/निरस्त किए जाते हैं, वह कार्डधारी अपनी आय का प्रमाण पत्र लेकर डी.जी.आर.ओ./ए.डी.एम. (DGRO/ADM) के पास अपील के लिए जाते हैं तथा अनुमोदन होने के बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है।
(ड) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?	उपरोक्त।

DSE

Asstt. Commissioner
Department of Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002